लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– **ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (हिरमी सीमेंट वर्क्स) द्वारा ग्राम मोहरेंगा, माठ, मूरा एवं खरोरा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित लाईम स्टोन माईन क्षमता 4.0 मिलियन टन/वर्ष (लीज़ एरिया 689.048 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 18.09.2015 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।**

मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (हिरमी सीमेंट वर्क्स) द्वारा ग्राम मोहरेंगा, माठ, मूरा एवं खरोरा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित लाईम स्टोन माईन क्षमता 4.0 मिलियन टन/वर्ष (लीज़ एरिया 689.048 हेक्टेयर) हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने के लिये लोक सुनवाई कराने बावत् छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया। हरिभूमि एवं हिंदुस्तान टाईम्स (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर दिनांक 18.09.2015 दिन शुक्रवार को प्रातः 11:00 बजे ग्राम मुरा, तहसील तिल्दा, जिला–रायपुर (छ.ग.) में सुनवाई नियत की गई, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रेषित की गई।

उद्योग की प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् दिनांक 18.09.2015 को ए.डी.एम. रायपुर श्री डी. सिंह, जिला रायपुर की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान डॉ0 एस.के. उपाध्याय क्षेत्रीय अधिकारी, श्री विभोर सिंग उप–पुलिस अधीक्षक, उद्योग प्रतिनिधि श्री पाणिग्रही, डॉ0 के.वी. रेड्डी तथा मान्नीय विधायक श्री देवजी भाई पटेल, जिला पंचायत के मान्नीय सदस्य, ग्राम पंचायतों के मान्नीय सरपंच, आस–पास के गांवों के किसान आदि लगभग पांच सौ जनसामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई दोपहर 11:25 बजे प्रारंभ की गई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गयें है, उनकी सूची संलग्नक–2 अनुसार है।

3. क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 एस.के. उपाध्याय ने प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये ए.डी.एम. महोदय से जन सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया।

4. ए.डी.एम. श्री डी. सिंह ने लोक सुनवाई हेतु आये मान्नीय जनप्रतिनिधियों एवं किसानों का स्वागत करते हुये कहा कि यह जन सुनवाई मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (हिरमी सीमेंट वर्क्स) द्वारा ग्राम मोहरेंगा, माठ, मूरा एवं खरोरा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित लाईम स्टोन माईन क्षमता 4.0 मिलियन टन/वर्ष (लीज़ एरिया 689.048 हेक्टेयर) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् है। यह पर्यावरण से संबंधित जन सुनवाई है।

5. **उद्योग प्रतिनिधि** डॉ0 के.वी. रेड्डी ने परियोजना के संबन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि, यह परियोजना ग्राम मोहरेंगा, माठ, मूरा एवं खरोरा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित चूना पत्थर उत्खनन क्षमता 4.0 मिलियन टन/वर्ष (लीज़ एरिया 689.048 हेक्टेयर) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् है। मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (हिरमी सीमेंट वर्क्स) आदित्य बिरला समूह की एक कंपनी है, जिसमें कुल सीमेंट उत्पादन क्षमता 67 मिलियन टन/वर्ष है तथा विश्व का छठवां सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के दो सीमेंट संयंत्र हिरमी व रावन छत्तीसगढ़ में है, जिनकी उत्पादन क्षमता 2.75 और 6.5 मिलियन टन/वर्ष है। मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा हिरमी में स्थापित सीमेंट संयंत्र की उत्पादन क्षमता का विस्तार 2.75 से 6.75 मिलियन टन/वर्ष प्रस्तावित है। अतिरिक्त चूना पत्थर की आवश्यकता की पूर्ति के लिये नई चूना

पत्थर खदान (लीज़ एरिया 689.048 हेक्टेयर) 4.0 मिलियन टन/वर्ष उत्पादन क्षमता के साथ मोहरेंगा, माठ, मूरा एवं खरोरा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर में प्रस्तावित है। मोहरेंगा से निकलने वाले चूना पत्थर का उपयोग मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित संयंत्रों में किया जायेगा। खनन की प्रक्रिया ओपन कॉस्ट मशीनीकृत है। कुल खनन योग्य भंडार 116.34 मिलियन टन, खनन की आयु 29 साल, बेंच की उंचाई 6 से 8 मीटर, बेंच की चौड़ाई 25–30 मीटर, भू–जल स्तर पूर्व मानसून एवं पश्च मानसून क्रमशः 10–15 मीटर बी.जी.एल. एवं 05–07 मीटर बी.जी.एल., पिट की अंतिम कार्य गहराई 252 मीटर ए.एम.एस.एल. (30 मी. बी.जी.एल.), पिट स्लोप कोण 45^0, स्ट्रिपिंग अनुपात (टन : टन) 1.1.59 व कार्य दिवस प्रतिवर्ष 300 दिन की जानकारी दी गई। जल की आवश्यकता 300 किलोलीटर/दिन, बोरवेल या माईन सम्प में एकत्रित वर्षा जल, मानव शक्ति की आवश्यकता स्थानीय ग्रामीणों को योग्यता एवं अनुभव के आधार पर रोजगार प्रदान किये जाने की जानकारी दी गई। चरणवार भूमि उपयोग एवं रिक्लेमेशन क्षेत्र के संबंध में, व्यापक वायु एवं ध्वनि गुणवत्ता के सेंपलिंग स्टेशन, भूमिगत जल एवं मृदा के सेंपलिंग स्टेशन, वायु एवं वायु गुणवत्ता प्रबंधन के तहत् ड्रिलिंग हेतु शार्प ड्रिल बिट व ड्रिलिंग मशीन के साथ जल छिड़काव प्रणाली का उपयोग, विस्फोटन में आधुनिक तकनीक का उपयोग, द्वितियक विस्फोटन को रोकने के लिये रॉक ब्रेकर का उपयोग, क्रशर उपकरण के साथ बैग फिल्टर का प्रस्ताव, वाहनों की नियमित जांच व उत्सर्जन नियंत्रण, हॉल रोड पर जल छिड़काव, पिट के चारों ओर हरित पट्टिका का विकास एवं वृक्षारोपण, ढंके हुये कन्वेयर बेल्ट, स्थानांतरित बिंदुओं पर जल छिड़काव प्रणाली का उपयोग, संबंधित कर्मचारियों को सुरक्षा के उपाय प्रदान करने के संबंध में जानकारी दी गई। जल गुणवत्ता प्रबंधन अंतर्गत दूषित जल उत्पन्न नहीं होने, वर्कशॉप से निकलने वाले ऑयल को जल पृथ्थकरण द्वारा उपचारित करने तथा उपचार के पश्चात वृक्षारोपण की सिंचाई तथा जल छिड़काव में उपयोग करने एवं खान कार्यालय तथा घरेलू उपयोग से निकलने वाले दूषित जल हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट प्रस्तावित है। गारलेंड ड्रेन बनाये जाने के संबंध में जानकारी दी गई। पिंड्रावन टैंक के सुरक्षा के संबंध में ध्वनि गुणवत्ता प्रबंधन अंतर्गत सभी मशीनों हेतु एअर कंडीशन्ड केबिन की स्थापना, वाहनों एवं मशीनों का उचित रख–रखाव, द्वितीयक विस्फोटन को रोकने हेतु हॉईड्रोलिक रॉक ब्रेकर्स, खनन उपकरणों में आवश्यकतानुसार सायलेंसर एवं मफलर्स तथा कार्यरत संचालकों/कर्मचारियों को ईअर प्लग, ईअर मफ्स उपलब्ध कराने, हरित पट्टिका एवं वृक्षारोपण के विकास आदि के संबंध में जानकारी दी गई। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों को खनन पट्टा सीमा क्षेत्र में अखनिज क्षेत्र में डाले जाने व डंप की उंचाई 30 मीटर रखने तथा वृक्षारोपण करने की जानकारी दी गई। भूमि सुधार व पुनर्वास, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अंतर्गत सभी कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, सामाजिक आर्थिक विकास, सतत् आजीविका अंतर्गत कम्प्यूटर ट्रेनिंग, मोबाईल रिपेयरिंग, मोटर ड्राईविंग, पशु पालन, जल संरक्षण संचयन संरचना, किसान प्रशिक्षण, ग्रामीण उद्योगों के विकास, शिक्षा अंतर्गत आंगनबाड़ियों को सहायता, शिक्षा सामाग्री का वितरण, आस–पास के विद्यालयों में मेरिट विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य अंतर्गत किशोर स्वास्थ्य देखभाल, सामान्य स्वास्थ्या शिविर के लिये सहायता, मोबाईल डिस्पेंसरी, विकलांगों के लिये सहायत एवं बुनियादि संरचना अंतर्गत सामुदायिक केन्द्र, स्कूल का आवश्यकता के आधार पर नवीनीकरण, आस–पास के क्षेत्र में हॉस्पीटल के निर्माण, विकास में सहायता, जल संचयन संरचना का निर्माण, सामुदायिक भवन आदि एवं सामाजिक मुद्दों के अंतर्गत निशुल्क पौंधों का वितरण, सामाजिक जनजागरूकता कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी गई।

6. क्षेत्रीय अधिकारी एस.के. उपाध्याय ने जनसामान्य से इस परियोजना से पर्यावरण पर होने वाले सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव के बारे में उनके सुझाव एवं आपत्ति आंमत्रित की

तथा आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिये गये सुझाव एवं आपत्ति को यहां अभिलेखित कर, केन्द्र सरकार को बिना किसी कांट–छांट के भेजा जायेगा।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रकिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1 श्री बेदराम मनहरे, खरोरा ने कहा कि प्रस्तावित परियोजना हेतु 10 किलोमीटर के क्षेत्र में इम्पेक्ट स्टडी करते हैं, यह ढोंग है। मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा जो खनन क्षेत्र है, खनन पट्टी से पिंड्रावन टैंक तक कैचमेंट एरिया, मोहरेंगा में 30 से 35 वर्गमीटर का है जिसका पानी ग्राम मोहरेंगा से आरंभ होता है, अगर उस स्थल पर उत्खनन किया जाता है, तो पिंड्रावन जलाशय नहीं भरेगा तथा 12 गांवों में सिंचाई नहीं हो पायेगी। मोहरेंगा जंगल भी नष्ट होने का खतरा है, जिसमें जंगली गाय, जंगली सूअर, लकड़बग्घा आदि एवं जंगल के चारों ओर सागोन, आंवला, महुआ तथा तालाब व बोर नष्ट होने की संभावना है। जल का स्तर सामाप्त नहीं होने, ब्लॉस्टिंग एवं ध्वनि प्रदूषण से नुकसान नहीं होने। परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन हेतु स्टेशन तीन गांव के मध्य लगाये जाने, ब्लॉस्टिंग के लिये सिस्मोग्राफ 2–3 गांव के बीच एवं पीक पार्टिकल वेलोसिटी के लिये सिस्मोग्राफ अनिवार्य रूप से लगाये जाने। ध्वनि, वायु व जल की वार्षिक रिपोर्ट, एन.आई.टी. रायपुर या 'नीरी' नागपुर से मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कांटेक्ट कर लिखित सहमति ग्राम पंचायतों को देने। उत्खनन क्षेत्र की नियमानुसार दूरी रखने, मकानों में ब्लॉस्टिंग से दरार आने पर मुआवजा देने एवं तीन गांवों में रोजगार, सी.एस.आर. खर्च, भूमि मुआवजा एवं ठेकेदारी संबंधित कार्य आदि के संबंध में जानकारी चाही गई।

2 श्री सतीश मिश्रा, ग्राम मूरा ने कहा कि मैं 2–3 मुद्दे रखना चाहता हूॅ। जमीन खरीदने की शुरूवात की गई, जो कि ग्राम मूरा से आरंभ की गई, जमीन की काफी कम कीमत दी गई है, अंतर राशि का मुआवजा दिया जाना चाहिये। जल के संबंध में 1902 से टैंक बना हुआ है, जिससे 12 गांवों की सिंचाई होती है, यदि माईनिंग खोली जायेगी तो खेत के ट्यूबवेल का जल स्तर कम होगा। माठ, मूरा, मोहरेंगा एवं आस–पास के गांवों में पूर्ण रूप से स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। सेन्ट्रल प्लेस में 200 से 300 बिस्तर का अस्पताल बनाया जाना चाहिये तथा इन गांवों में प्रायमरी, हायर सेकेण्डरी स्कूल, आई.आई.टी., सीमेंट एवं माईन्स से संबंधी शिक्षा हेतु विद्यालय खोले जाना चाहिये।

3 श्री नंद कुमार पाल, ग्राम मूरा ने कहा कि जिसकी जमीन ली गई है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा उसे रोजगार दिया जाना चाहिये साथ ही स्थानीय बेरोजगारों, आई.आई.टी. इंजीनियरों, डंपर मैकेनिक, ड्राईवर आदि को रोजगार दिया जाना चाहिये। बाहर के व्यक्तियों को छोड़कर गांव के लोगों के पास उपलब्ध ट्रेक्टरों एवं वाहनों को परियोजना प्रस्तावक द्वारा काम दिया जाना चाहिये। जमीन की काफी कम कीमत दी गई है, नियमानुसार अंतर राशि का मुआवजा दिया जाना चाहिये।

4 श्रीमती सुमन पाल, सरपंच ग्राम मूरा ने कहा कि गांव के लोग बेरोजगार हैं, आई.टी.आई. हैं, उन्हे नौकरी मिलना चाहिये।

5 श्री विधान मिश्रा, पूर्व राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग, कृषि, सहकारित, पशुपालन, मछली पालन, ग्राम मूरा ने कहा कि ग्राम मूरा, माठ, मोहरेंगा की जनसंख्या लगभग 10 हजार है। मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा इन तीनों गांवों से घिरे हुये मध्य की भूमि लगभग 689.048 हेक्टेयर लाईम स्टोन खनन कार्य हेतु 30 वर्ष की अवधि के लिये प्राप्त किया गया है। इन तीनों ग्रामों में सिंचाई ट्यूबवेल पर आधारित है। यहां पर लगभग 170 ट्यूबवेल हैं,

यदि ब्लॉस्टिंग से भूमि के अंदर 30 मीटर तक लाईम स्टोन खोदा जायेगा, तो ट्यूबवेल का जल स्त्रोत समाप्त हो जायेगा। डी.जी.एम.एस. धनबाद के माईन्स रेगुलेशन 1961 के सेक्शन 109 के अनुसार ब्लॉस्टिंग क्षेत्र से पब्लिक वर्क मकान आदि 50 मीटर की दूरी पर होनी चाहिये। सेक्शन 164 के अनुसार नार्मल ब्लॉस्टिंग से 300 मीटर दूर एवं कन्ट्रोल ब्लॉस्टिंग से 100 मीटर दूर मकान, कैनाल, सड़क आदि होना चाहिये। गांव एवं ब्लॉस्टिंग क्षेत्र से रॉक एवं पत्थर 300 मीटर की दूरी पर होना चाहिये। किंतु ग्राम माठ, मूरा, मोहरेंगा खनन कार्य की पट्टे की भूमि से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ग्राम निवासी के कच्चे एवं पक्के निवास है। यदि ब्लॉस्टिंग से इनके मकान में दरार आती है, तो जवाबदार कौन होगा ? ध्वनि स्तर 85 डीबीए से अधिक नहीं होना चाहिये, जबकि मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की प्रस्तावित खदान के पास 25 से 30 बड़े–बड़े गिट्टी के क्रशर एवं खदान है। मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की खदान से कन्ट्रोल ब्लॉस्टिंग क्रशर खदान के द्वारा नार्मल ब्लॉस्टिंग 25 डीबीए से अधिक हो जायेगा। ग्राम मूरा, मोहरेंगा की आबादी कच्चे पक्के मकान 50 मीटर से 100 मीटर के बीच निवास करते हैं। अतः ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के क्या उपाय किया जायेगा ? भारत सरकार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार वायु गुणवत्ता का मानक वार्षिक 60 पी.एम. (10 माईक्रॉन) से कम आकार वाले औसत से अधिक नहीं होना चाहिये एवं 24 घंटे में 100 पी.एम. (10 माईक्रॉन) के औसत से अधिक नहीं होना चाहिये। ई.आई.ए रिपोर्ट की टेबल 3.6 एम्बियेंट एअर क्वॉलिटि मॉनिटरिंग सर्वे में ग्राम मूरा को शामिल नहीं किया गया है, बड़े आश्चर्य की बात है। जिन ग्रामों का खदानों से कोई संबंध नहीं उन्हे शामिल किया गया है। मूरा ग्राम में सबसे अधिक वायु प्रदूषण है। पर्यावरण विभाग मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को निर्देश देकर सर्वे कराये। मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की माईनिंग लीज़ की तीसरी दिशा में जी.एम.आर. का पॉवर प्लांट रायखेड़ा में लगा हुआ है। अनिवार्य रूप से ग्राम मूरा के वायु प्रदूषण की जांच की जावे। मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड लिखित में जानकारी देवें। मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट तथा प्रर्यावरणीय प्रभाव के आंकलन का आधार क्या है ? निज़ि कंपनियों के द्वारा सर्वे रिपोर्ट बनाया गया है, शासकीय विभाग एन. आई.टी. रायपुर एवं 'नीरी' नागपुर के द्वारा उनके आंकड़ों का उपयोग क्यों नहीं किया गया। तीनों गांवों में पानी का स्तर समाप्त नहीं होना चाहिये व बांध को नुकसान भी नहीं होना चाहिये। ब्लॉस्टिंग एवं ध्वनि प्रदूषण से गांव के कच्चे एवं पक्के मकानों आदि को नुकसान नहीं होना चाहिये। पीक पार्टिकल वेलोसिटी नियंत्रित होना चाहिये। पर्यावरण अपने मानक स्तर से अधिक नहीं होना चाहिये। मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को लिखित में गारंटी देनी चाहिये। पीक पार्टिकल वेलोसिटी, धरती में कंपन कम से कम पांच पीपीवी और अधिक से अधिक 15 पीपीवी होनी चाहिये। गांव की आबादी नजदीक होने के कारण तीनों गांवों में आबदी के मध्य सिस्मोग्राफ वेलोसिटी मापक यंत्र मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा लगाया जाना चाहिये, जिसका रिकार्ड त्रैमासिक रूप से ग्राम पंचायत को दिया जावे। कंटिनिवस एम्बियेंट एअर क्वालिटि मॉनिटरिंग स्टेशन ग्राम मूरा एवं मोहरेंगा के मध्य लगाया जावे व त्रैमासिक वायु प्रदूषण की रिपोर्ट मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायत को दी जावे। ध्वनि, वायु, जल की वार्षिक रिपोर्ट हेतु एन.आई.टी. रायपुर द्वारा या 'नीरी' नागपुर से मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड अनुबंध किया जावे। उपरोक्त सभी विषयों पर मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड लिखित सहमति दे। रोजगार जैसे वाहन चालक, मैकेनिक, आई.टी.आई., इंजनियर, सी.एस.आर. खर्च एवं भूमि का मुआवजा एवं ठेकेदारी तथा खदान की बांउण्ड्रीवॉल का कार्य तीनों ग्राम पंचायतों के निवासियों को दी जावे। पेयजल सुविधा एवं सिंचाई हेतु खदानों का जल पंप के माध्यम से नाली बनाकर प्रदाय किया जावे व खनन समाप्त होने के बाद 1200 एकड़ भूमि में पानी का टैंक रहेगा, उसके लिये भी तीनों गांव में कृषि कार्य हेतु सिंचाई की योजना बनाई जावे। जमीन की अंतर राशि, कृषकों एवं पंचायतों को नान–ट्रेड पर सीमेंट उपलब्ध कराना, प्रभावित किसानों को प्रथम प्राथमिकता दी जावे।

7 श्री सौरभ विश्वनाथ मिश्रा, ग्राम मूरा ने कहा कि खदान के लिये क्रय की गई जमीन हेतु अंतर राशि उच्चत्म दर पर उपलब्ध कराई जावे। स्थानीय बेरोजगार युवक, आई.टी.आई., इंजीनियर, मजदूर, ड्रायवर आदि को रोजगार उपलब्ध कराया जावे। स्थानीय लोगों के डम्पर, ट्रैक्टर आदि को किराया से लगाया जावे। बंगोली शाखा के जल प्रदाय में छेड़छाड़ न किया जावे व ग्राम मूरा डूबन में न आवे। सी.एस.आर. कार्य के तहत् ग्राम विकास किया जावे। त्योहारों एवं शिविरों में सहयोग दिया जावे। जन सुनवाई की प्राथमिकता स्थानीय लोगों को मिलना चाहिये।

8 श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा ने कहा कि ग्राम माठ के लोगों द्वारा निर्णय लिया गया है कि, ग्राम माठ की 36 एकड़ चारागाह की भूमि मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के क्षेत्र में आ रही है। जिस क्षेत्र में मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा भूमि ली गई है, जल केवल उसी क्षेत्र में है। पर्यावरण, जल एवं वन का संरक्षण आवश्यक है। धरती में कंपन ज्यादा नहीं होना चाहिये। नियमानुसार भूमि की अंतर राशि प्रदान की जावे। रोजगार स्थानीय मूल निवासियों को प्रदाय किया जावे। खदान की बांउण्ड्रीवॉल के निर्माण का कार्य स्थानीय लोगों को दिया जावे। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जावे।

9 श्री पूरन लाल गिलहरे, सरपंच ग्राम पंचायत मोहरेंगा ने कहा कि हम इन शर्तों पर राजी होंगे कि, प्रस्तावित खदान से प्रभावित किसानों को रोजगार, ठेकेदारी व जिसकी जमीन ली गई हो, उसे प्राथमिकता दी जावे। प्रारंभ में विक्रय की गई जमीन जो कि कम दर से ली गई है, उसकी मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा अंतर राशि प्रदान की जावे। आई.टी. आई., ड्रायवर, हेल्पर, इंजीनियर आदि हेतु रोजगार की सुविधायें स्थानीय लोगों एवं प्रभावित किसानों को प्राथमिकता को आधार पर दिया जावे। पत्थर उत्खनन, खदान की बांउण्ड्रीवॉल के निर्माण का कार्य स्थानीय लोगों को दिया जावे। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जावे। ब्लॉस्टिंग से होने वाली क्षति के संबंध में मुआवजा राशि दी जावे, पर्यावरण हेतु उचित प्रबंधन, जल स्तर संरक्षण आदि की उचित व्यवस्था तथा उपरोक्त सभी बातों हेतु लिखित में सहमति दी जावे।

10 श्री भागबली ध्रुव, पूर्व सरपंच ग्राम मूरा ने कहा कि जन सुनवाई कराई जरूर जाती है, लेकिन जनता की सुनवाई नहीं होती है। जी.एम.आर. ने कितने लोगों को नौकरी दी है ? स्थानीय लोगों को रोजगार न दिया जाकर बाहर के लोगों को रोजगार दिया गया है। खदान से उत्खनन के पश्चात निकलने वाले पत्थर का उपयोग जहां भी होगा वहां पर भी स्थानीय लोगों को नौकरी देने का प्रावधान रखा जावे। स्थानीय लोगों को रोजगार, मजदूरों को प्राथमिकता, ड्रायवर, कम्प्यूटर आपरेटर को रोजगार दिया जावे एवं खदान की बांउण्ड्रीवाल का कार्य स्थानीय लोगों को दिया जावे। मुक्तिधाम एवं चारागाह के लिये स्थान उपलब्ध कराया जावे।

11 श्री प्रखर मिश्रा, अध्यक्ष रविशंकर विश्वविद्यालय ने कहा कि तीनों गांव अपने अधिकारों से वंचित नहीं होना चाहिये। शासन से निवेदन है कि रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाना चाहिये। ट्रैक्टर, ट्राली, जे.सी.बी., हाईवा आदि वाहनों जो कि स्थानीय लोगों के पास उपलब्ध है, उन्हे कार्य करने की प्राथमिकता दी जानी चाहिये। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुये कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जावे व सघन वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी जावे।

12 श्री मालतूराम बंजारे, ग्राम मोहरेंगा ने कहा कि मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा जो जमीन ली गई है, उसकी अंतर राशि का सहीं मूल्य मिलना चाहिये। व सबको समान लेकर चलना चाहिये। क्योंकि जी.एम.आर. में देखा जा चुका है। स्थानीय लोग चाहे आंठवीं हों या बी.ए., एम.ए. हों सभी को रोजगार मिलना चाहिये

13 श्री मुकेश भारद्वाज, जनपद सदस्य ने कहा कि हमारी धरती मैया को खरीदकर बेदखल किया जा रहा है। शासन से हांथ जोड़कर निवेदन है कि, खुले तौर पर जन सुनवाई का विरोध करते हैं। जमीन हमारी है, पानी हमारा है। मैं चाहता हूं कि कृषि के विकास के लिये प्लानिंग बनाई जावे, उसके पश्चात हम निर्णय लेंगें। मैं पूछता हूं कि, क्या मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड एक प्रतिशत शेयर देने को तैयार है ? अगर किसी की जमीन ली गई है, तो मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड एक प्रतिशत शेयर प्रदान करें। जी.एम.आर. ने भी बहुत वायदे किये थे कि, हम काम देंगें लेकिन शुरूवाती तौर पर सबसे डिग्री मांगी जाती है। एक बार गलती हो चुकी है, बार–बार गलती नहीं की जायेगी। जन सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है।

14 श्री दौलतराम वर्मा ने कहा कि ग्राम मूरा, माठ, मोहरेंगा के जिन निवासियों की जमीन खदान हेतु ली गई है, उन्हे रोजगार की प्राथमिकता दी जावे। जब तक रोजगार व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी हम मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को घुसने नहीं देंगे।

15 श्री अश्वनी वर्मा, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत तिल्दा ने कहा कि, मैं माठ का रहने वाला हूं, जिन किसानों की जमीन निकली है, उन्हे रोजगार का आश्वासन दें। पेण्ड्रावन जलाशय प्रभावित न हो। घास एवं चारागाह की भूमि पर कब्जा न किया जावे। उक्त हेतु मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड लिखित आश्वासन प्रदान करें।

16 श्री संतोष कुमार वर्मा ने कहा कि, माठ, मूरा, मोहरेंगा की जमीन में प्लांट आ रहा है या माईन्स ? इसका पता ही नहीं है। ब्लॉस्टिंग की दर का पता नहीं है। मुआवजा कौन देगा।

17 श्री भागवत सिंग ने कहा कि, पेंण्ड्रावन जलाशय दूषित हो जावेगा। मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया करेगा, क्योंकि उद्योग केवल शोषण किया करता है।

18 श्री कबीर कुमार वर्मा ने कहा कि, ग्राम मूरा, माठ, मोहरेंगा के निवासियों को योग्यतानुसार ड्रायवर, इलेक्ट्रिशियन आदि नौकरी मिले, यह मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड लिखित में दे।

19 प्रतिनिधि, युवा कांग्रेस ने कहा कि पुनर्वास नीति के तहत् जमीन खरीदी गई है ? नौकरी का क्या प्रावधान है ? ग्राम माठ, मूरा, मोहरेंगा के किसानों की भूमि 8–11 लाख रूपये एवं 15–25 लाख रूपये में क्रय हुई है। जिस प्रकार श्री सीमेंट द्वारा अंतर राशि प्रदान की गई है, उसी प्रकार जमीन की अंतर राशि प्रदान की जावे। पेंण्ड्रावन टैंक से 12 गांव की लगभग 1700 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई होती है, जिस हेतु क्या सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ? मोहरेंगा–पेंण्ड्रावन के बीच में खदान बनाई जाती है, तो स्थिति क्या होगी ? इसकी जवाबदारी कौन लेगा ? अन्यथा खदान नहीं लगने दी जायेगी। जी.एम.आर. कंपनी ने भी धोखा दिया है। तीनों गांवों के लोगों को रोजगार, ठेकेदारी दी जावे।

20 श्री अरविंद देवांगन ने कहा कि जन सुनवाई एक ढकोसला है। एक कान से सुना जाता है और दूसरे कान से निकाल दिया जाता है। मैं जन सुनवाई का विरोध करता हूं। नियमानुसार रोजगार मिलना चाहिये। उद्योग के मालिकों द्वारा नियम का पालन नहीं किया जाता है। खरोरा क्षेत्र से लगे हुये जल स्त्रोत प्रभावित होंगे। जी.एम.आर. कंपनी द्वारा भी कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः जन सुनवाई का विरोध किया जाता है, अन्यथा जनहित याचिका लगाकर विरोध करेंगे।

21 डॉ0 ढलेन्द्र सिंह वर्मा, जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि मैं जन सुनवाई के विरोध में खड़ा हूं। मांग नहीं अधिकार चाहिये। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो भी लोग बेवकूफ समझते हैं। जन सुनवाई के आड़ में बेवकूफ बनाया जाता है। हमारी खदान का पत्थर अमूल्य सोना है। ब्लास्टिंग के दौरान छोटे घर प्रभावित होंगे। मैं जी.एम.आर. में रोजगार हेतु बॉयोडेटा दिया गया था, कोई परिणाम नहीं निकला। चाहे कोई इंजीनियर हो अथवा डॉक्टर कोई मतलब नहीं है। जितने भी रोजगार दिये गये हैं, ठेकेदारी के माध्यम से बाहरी लोगों को दिये गये हैं। माठ, मूरा, मोहरेंगा की जमीन सोना है, इस अमूल्य सोने को खोने न दिया जावे व कंपनी नहीं लगाने दिया जावे।

22 श्री चंन्द्रिका प्रसाद वर्मा ने कहा कि यदि कंपनी काम करे तो खुले।

23 श्री चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा कि मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड लोगों को नौकरी व मुआवजा दे व किसी प्रकार की बर्बादी नहीं होना चाहिये।

24 श्री कृष्ण कुमार गायकवाड़ ने कहा कि मेरे पिताजी व दादाजी की 70 डिसमिल जमीन निकली थी, केवल 39,000 रूपये मुआवजा दिया गया। धोखे का काम किया जाता है, स्थाई नौकरी भी नहीं दी गई। अब मेरे पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया है। इन्हे जमीन नहीं दिया जाना चाहिये।

25 श्री नवीन अग्रवाल, उपाध्यक्ष जिला पंचायत ने कहा कि जन सुनवाई एक ढकोसला है, मैं खुलकर विरोध करता हूं। पेंण्ड्रावन जलाशय से कृषि भूमि सिंचित होती है। खदान खुलने से उक्त जलाशय एवं ब्लास्टिंग आदि से बोरवेल प्रभावित होगा।

26 श्री संतराम वर्मा, ग्राम हिरमी ने कहा कि मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा मुझे जबरदस्ती नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। मैं लेबर कोर्ट व इण्डस्ट्रीयल कोर्ट में चला गया था, यह उद्योग किसी का सहयोग नहीं करता है। यह कंपनी केवल काम लेती है और शोषण करती है। मैं छोटा सा पत्रकार हूं। सोच–समझकर कदम बढ़ाना। मैं जन सुनवाई का विरोध करता हूं।

27 श्री विनोद वर्मा ने कहा कि मैं छोटा सा किसान हूं। पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जावे। रोटी सेकने वालों की कमी नहीं है।

28 श्री संदीप कटारिया ने कहा कि जी.एम.आर. प्लांट की जन सुनवाई में बड़े–बड़े नेता आये। जी.एम.आर. द्वारा आश्वासन दिया गया। किंतु ठेकेदारी प्रथा वहां अपनाई गई है। स्थानीय लोगों को ठेकेदारी नहीं दी गई है। प्रतिनिधि मंडल बनाकर मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड में बिठाया जावे। व्यापारी किस्म के बाहरी आदमी को आने न दिया जावे।

29 श्री घनश्याम नायक, मूरा ने कहा कि हमारे गांव की सब जमीन बिक गई। प्लांट लगे, बेरोजगारों को रोजगार मिले, लड़के–बच्चे पढ़े लिखें, खुशहाली के दिन आयें।

30 श्री दुर्गेश पांडे ने कहा कि जन सुनवाई ढकोसला है। किसानों के साथ अन्याय है, हम जन सुनवाई का विरोध करते हैं।

31 श्री वतन चंद्राकर ने कहा कि जी.एम.आर. द्वारा सी.एस.आर. के लिये जो राशि शासन के नियमानुसार होना चाहिये, व्यय नहीं की गई है। हम जन सुनवाई का विरोध करते हैं। सोच–समझकर जमीन दी जावे।

32 श्री बबलू शर्मा ने कहा कि कंपनी द्वारा लुभाया जाता है। जबसे मैं सरपंच का चुनाव हारा हूं, तबसे मुझे दूध की मख्खी के समान निकाल दिया गया है। कोई स्थाई रोजगार नहीं देते हैं। बी.ई. के लिये कोई वैकेंसी नहीं है। जी.एम.आर. के द्वारा भी तीनों गांव के लोगों को स्थाई नौकरी नहीं दी गई है। लोक सुनवाई लुभा–लुभा के की जाती है।

33 श्री विनोद तिवारी ने कहा कि मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड बेवकूफ बनाने आये हैं। बड़ा–बड़ा सपना दिखाकर बड़ी–बड़ी बात करते हैं। मैं जनहित की लड़ाई कर रहा हूं। मेरे उपर 20–25 केस हैं। कोई डरने की बात नहीं है। प्रदूषण होगा, धुआं उड़ेगा, जलाशय से पानी सिंचित होता है, जिसमें व्यवधान उत्पन्न होगा। कंपनी वाले कान खोलकर सुन लें, हमारी एक राय है कि कंपनी बंद होना चाहिये। हम खुलकर जन सुनवाई का विरोध करते हैं। दिन पर दिन जमीन कम हो रही है। प्लांट नहीं लगना चाहिये। यदि बोला जाये तो हम गिरफ्तारी दे देंगे। जन सुनवाई असंवैधानिक है।

34 श्री प्रदीप मढ़रिया, ग्राम बरौंदा ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि खदान के संबंध में भुक्तभोगी हूं। सारागांव, बरौंदा, खरोरा में प्रदूषण नहीं होगा यह कहा गया है, जबकि प्रदूषण होगा। मैं 800 एकड़ भूमि भिलाई स्टील प्लांट के लिये छोड़कर आया हूं, नौकरी नहीं मिली है। जी.एम.आर. द्वारा भी रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है। सबसे पहले जी.एम.आर. को बंद किया जाये।

35 श्री देवजी भाई पटेल, मान्नीय सदस्य विधानसभा ने कहा कि मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के खदान के संबंध में जन सुनवाई आयोजित की गई है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इस क्षेत्र का विधायक हूं व इस जन सुनवाई का विरोध करता हूं तथा ए.डी.एम. साहब से निवेदन करता हूं कि, जन सुनवाई निरस्त की जावे। इन्होने केवल 120 लोगों को रोजगार देने के लिये कहा है, ये किसी को रोजगार नहीं देंगें। दूध के जले हैं, छांछ को भी फूंक–फूंक कर पीते हैं। खदान को 30 मीटर खोदने का प्लान दिया है, मे0 सेंचुरी सीमेंट लिमिटेड द्वारा खदान को 50 मीटर से अधिक गहरा खोदा गया है, इससे जल प्रदूषण होगा। यहां की बहमूल्य जमीन को नष्ट न होने दें। हिरमी में सीमेंट बनायेंगे तो, यह बहमूल्य जमीन नष्ट हो जायेगी। सीमेंट निर्माण की लागत केवल 150 से 160 रूपये आती है, जबकि इनके द्वारा सीमेंट को 300 रूपये में विक्रय किया जाता है। यहां के क्लिंकर को बाहर भी भेजा जायेगा, तो क्या यहां के लोग केवल प्रदूषण की मार सहेंगे। क्या हम नासमझ हैं ? यह जन सुनवाई कोई छोटी जन सुनवाई नहीं है, भविष्य का सवाल है। मैं जन सुनवाई का विरोध कर रहा हूं। पेण्ड्रावन टैंक से कई गांवों की सिंचाई होती है, जो कि निकट भविष्य में समाप्त हो जायेगा। माईनिंग प्लान के पेज नंबर 28 में कैचमेंट एरिया प्रभावित होकर प्राकृतिक जंगल नष्ट हो जायेंगे। सिलतरा में पशु–पक्षी खतम हो गये हैं। धान का कटोरा समाप्त हो जायेगा। 2006 में किसानों की जमीन को कैस लीज़ पर दिया गया है ? बलौदाबाजार से बंगोली का सर्वे चल रहा है। गांव को उजाड़कर, खेती–किसानी को बर्बाद कर विकास नहीं चाहिये। विरोध कर रहा हूं। 50 साल उत्खनन करेंगे, पत्थर को बनने में हजारों साल लग जाता है। मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा रूपये 22 लाख की खेती को रूपये 10 लाख में रजिस्ट्री क्यों कराई गई ? इनके विरूद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज होना चाहिये। जैसाकि श्री सीमेंट लिमिटेड की बात है, वहां सभी किसान, गांव वाले एक थे। यहां पर भी अंतर की राशि सभी किसानों को दें। अभी कोई जन सुनवाई नहीं होगी। हमने पुरखों को बेच दिया है। सिलतरा का भूमि स्वामी, आज सिलतरा में मजदूरी कर रहा है। सी.एस.आर. में चार करोड़ रखे हैं। हमारी सरकार विकास के लिये सक्षम है। 40 साल हो गया है, कितना विकास किया गया है ? सड़क तक नहीं बना पाये। हम सबको धोखे में रखना चाहते हैं।

लैंड यूज़ न चेंज किया जाये। वायु, जल प्रदूषण के लिये लोक सुनवाई है। यह क्षेत्र सूखा क्षेत्र है, पूरा पानी माईन्स में जाने वाला है, पूरा क्षेत्र सूखाग्रस्त हो जायेगा। सभी साथी जागरूक हैं, बाजू में वनरोपण हैं, जंगली पशु तथा हर्रा–बहेरा प्रभावित होगा। यह जन सुनवाई निरस्त किया जाये। पूरा सर्वे कर जन सुनवाई कराई जाये। पर्यावरण विभाग से अनुमति दे रहे हो, तो अपने विभाग से सर्वे कराकर जन सुनवाई कराई जावे। अलग–अलग जाकर गांव की स्थिति देंखे, पहले लीज़ कैसे दी गई। पर्यावरणीय स्वीकृति की जन सुनवाई में आपत्ति दर्ज होनी चाहिये। मैं प्रथम बार जन सुनवाई में आया हूं, मैं विधायक चार दिनों के लिये हूं, आप लोगों के मन की पीड़ा दूर करने आया हूं। मैं बहुत व्यथित हूं। आप सब की ओर से विरोध कर रहा हूं, जन सुनवाई को निरस्त किया जावे। मैं 1991 में मंडी क्षेत्र का अध्यक्ष था तथा उसके पश्चात से विधायक हूं, मेरा एवं मेरे परिवार का कहीं कोई ठेका किसी कंपनी में नहीं है।

अंत मे अपर कलेक्टर श्री डी. सिंह ने उपस्थित जनसामान्य को अवगत कराते हुये बताया कि मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के द्वारा खदान की जन सुनवाई हुई है। आपकी भावनायें एवं आपके द्वारा प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियां सक्षम स्तर पर पहुंचा दी जायेंगी। मैं सभी को प्रशासन की ओर से धन्यवाद देता हूं कि यह जनसुनवाई संपन्न हुई।

यह लोक सुनवाई प्रातः लगभग 11:25 बजे प्रारंभ होकर दोपहर लगभग 03:30 बजे संपन्न हुई। लोक सुनवाई के पूर्व एवं लोक सुनवाई के दौरान तथा लोक सुनवाई के पश्चात कुल 26 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जो संलग्नक–1 अनुसार है। संपूर्ण लोक सुनवाई की विडियोग्राफी की गई।

(डी. सिंह)
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त
जिला दण्डाधिकारी, रायपुर,
जिला रायपुर (छ.ग.)